प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 33/2025)

<u>तत्काल प्रकाशन हेतु</u>

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण</u>

भादूविप्रा ने "डिजिटल संचार क्षेत्र में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग मामलों और व्यापार मॉडल को प्रोत्साहित करने" पर ट्राई की 12.04.2024 की अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग के बैक-रेफरेंस का उत्तर दिया है।

नई दिल्ली, 25/04/2025- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज **"डिजिटल संचार क्षेत्र में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग मामलों और व्यापार मॉडल को प्रोत्साहित करने" पर** ट्राई की 12.04.2024 की अनुशंसाओं के संबंध में दूरसंचार विभाग (डीओटी) से प्राप्त बैक-रेफरेंस पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की।

2. इससे पहले, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 10.03.2023 को एक पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ए) के तहत भादूविप्रा से दूरसंचार क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों, सेवाओं और व्यापार मॉडल के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए रूपरेखा पर सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया था। हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद, भादूविप्रा ने दिनांक 12.04.2024 को दूरसंचार विभाग को "डिजिटल संचार क्षेत्र में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के माध्यम से अभिनव प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग के मामलों और व्यापार मॉडल को प्रोत्साहित करने" पर अपनी अनुशंसाएं प्रदान कीं।

3. इसके बाद, दूरसंचार विभाग ने 19.03.2025 के बैक-रेफरेंस के माध्यम से भादूविप्रा से "डिजिटल संचार क्षेत्र में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग के मामलों और व्यापार मॉडल को प्रोत्साहित करने" पर 12.04.2024 की अपनी अनुशंषाओं पर पुनर्विचार करने को कहा।

4. मामले पर जांच-पड़ताल के बादn भादूविप्रा ने बैक-रेफरेंस पर अपने उत्तर को अंतिम रूप दे दिया है। बैक-रेफरेंस पर भादूविप्रा का जवाब ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है।

5. इस मामले में किसी भी स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए, श्री अब्दुल कयूम, सलाहकार (ब्रॉडबैंड और नीति विश्लेषण), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-20907757 पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी
25/4/25

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा